कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा, झुझुनूं

दुरभाष – 01592 – 232616 व E mail Id :- deosecondaryjjn@gmail.com

क्रमांक:– जिशिअ / मा / झुं0 / संस्था–1 / 2018 / 4242 दिनांक:– 12-03-2018

प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक

रामावि / राउमावि (बालक / बालिका)

चोटीबाड़ा खुर्द, सैनपुरा, मेहाड़ा जाटूवास, [illegible], [illegible], बगड़, [illegible] खुर्द, [illegible] नगर, [illegible] पुरा

जिला झुंझुनूं

विषय–काउसंलिंग के माध्यम से मुख्यालय परिर्वतन पर योगकाल के आवेदन को लौटाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त विभाग के आदेश क्रमांक:–F.7(3)FD (Rules)/98 जयपुर दिनांक:–02.08.2005 के अनुसार राज्य हित (Public Interest) में स्थानान्तरण होने पर मुख्यालय परिर्वतन पर यात्रा भत्ता एवं कार्यग्रहण काल देय है।

श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के पत्र क्रमांक:–शिविरा / माध्य / स्थिरी–अनु / 34814 / 2017 दिनांक:–05.03.2018 के अनुसार काउसंलिंग के दौरान रिक्त प्रदर्शित किये गये पदों पर कार्मिक को ईच्छित पद पर चयन का विकल्प खुला रहता है। काउसंलिंग के दौरान पदस्थापन का मुख्यालय परिर्वतन राज्य हित में एवं प्रशासनिक कारणों से नहीं किया जाकर कार्मिक के द्वारा पदस्थापन स्थान के चयन के आधार पर पदस्थापन किया जाता है। काउंसलिंग के द्वौरान आपके पदस्थापन स्थान का मुख्यालय परिर्वतन होने पर किसी प्रकार का यात्रा भत्ता एवं कार्यग्रहणकाल (योगकाल) देय नही है।

अतः आपके द्वारा कार्यग्रहणकाल (योगकाल) के एवज में सेवापुस्तिका में उपार्जित अवकाश के आवेदित आवेदन को निरस्त कर लेख है कि आपके अधिनस्थ कार्मिकों के सम्बन्ध में भी उक्तानुसानर पालना सुनिश्चित करे।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, झुझुनूं

क्रमांक:– जिशिअ / मा / झुं0 / संस्था–1 / 2018 / 4243 दिनांक:– 12-03-2018

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
2. नाडल प्रभारी अधिकारी (प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक) को भेज कर लेख है उक्तानुसार से आपके अधिनस्थ विधालयों के संस्था प्रधान को सूचित करना सुनिश्चित करे।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, झुझुनूं

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा / माध्य / वित्त–अनु / 34814 / 2017

दिनांक: 05.03.2018

समस्त उपनिदेशक माध्यमिक
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा

विषय:– काउंसलिंग के दौरान मुख्यालय से अन्यत्र पदस्थापन होने पर यात्रा भत्ता एवं योगकाल दिये जाने के सम्बन्ध में

प्रसंग :– राज्य सरकार का आदेश क्रमांक: F.7 (3) FD (Rules)/98 Jaipur Date <u>02-08-2005</u>

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त विभाग के आदेश क्रमांक: F.7 (3) FD (Rules)/98 Jaipur Date 02-08-2005 के अनुसार राज्य हित (Public Interest) में स्थानान्तरण होने पर मुख्यालय परिवर्तन पर यात्रा भत्ता एवं कार्यग्रहण काल देय है । काउंसलिंग के दौरान रिक्त प्रदर्शित किये गये पदों पर कार्मिक को ईच्छित पद पर चयन का विकल्प खुला रहता है । काउंसलिंग के दौरान पदस्थापन का मुख्यालय परिवर्तन राज्य हित में एवं प्रशासनिक कारणों से नहीं किया जाकर कार्मिक के द्वारा पदस्थापन स्थान के चयन के आधार पर पदस्थापन किया जाता है ।

अतः काउंसलिंग के दौरान कार्मिक का पदस्थापन स्थान का मुख्यालय परिवर्तन होने पर किसी प्रकार का यात्रा भत्ता व कार्यग्रहणकाल देय नहीं है । अधीनस्थ कार्यालयों व शाला प्रधानों को इस सम्बन्ध में अवगत कराते हुए अनावश्यक पत्राचार नहीं करने के लिये पाबन्द करावें ।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकःशिविरा / माध्य / स्थिरी–अनु / 34814 / 2017 दिनांकः 05.03.2018

समस्त उपनिदेशक,माध्यमिक
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा

विषयः– काउंसलिंग के दौरान मुख्यालय से अन्यत्र पदस्थापन होने पर यात्रा भत्ता एवं योगकाल दिये जाने के सम्बन्ध में
प्रसंग :– राज्य सरकार का आदेश क्रमांकः F.7 (3) FD (Rules)/98 Jaipur Date 02-08-2005

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त विभाग के आदेश क्रमांकः F.7 (3) FD (Rules)/98 Jaipur Date 02-08-2005 के अनुसार राज्य हित (Public Interest) में स्थानान्तरण होने पर मुख्यालय परिवर्तन पर यात्रा भत्ता एवं कार्यग्रहण काल देय है । काउंसलिंग के दौरान रिक्त प्रदर्शित किये गये पदों पर कार्मिक को ईच्छित पद पर चयन का विकल्प खुला रहता है । काउंसलिंग के दौरान पदस्थापन का मुख्यालय परिवर्तन राज्य हित मे एवं प्रशासनिक कारणों से नहीं किया जाकर कार्मिक के द्वारा पदस्थापन स्थान के चयन के आधार पर पदस्थापन किया जाता है ।

अतः काउंसलिंग के दौरान कार्मिक का पदस्थापन स्थान का मुख्यालय परिवर्तन होने पर किसी प्रकार का यात्रा भत्ता व कार्यग्रहणकाल देय नहीं है । अधीनस्थ कार्यालयो व शाला प्रधानों को इस सम्बन्ध में अवगत कराते हुए अनावश्यक पत्राचार नहीं करने के लिये पाबन्द करावें ।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

राजस्थान सरकार

निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– निसंशि/संस्था–2(क,ख)/स्थानान्तरण/2016/2515–20 दिनांक :– 3/2/2017

:: संशोधित आदेश ::

विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 37892–905 दिनांक 20.10.2016, 38429–68 दिनांक 20.10.2016, 38396–420 दिनांक 20.10.2016, 39789–91 दिनांक 22.10.2016, 39794–96 दिनांक 22.10.2016, 39797–99 दिनांक 22.10.2016, एवं 40646–671 दिनांक 25.10.2016 द्वारा प्रधानाध्यापक, प्रवेशिका/प्राध्यापकों/प्रधानाचार्य, वरिष्ठ उपाध्याय के स्थानान्तरण किये गये थे। उपर्युक्त आदेशों में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग–1) की आज्ञा क्रमांक प.प्रसु/सम/अनु–1/2008 पार्ट जयपुर, दिनांक 13.12. 2016 के क्रम में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :–

1. प्रशासनिक आधार अथवा राज्यहित में किये गये स्थानान्तरण आदेश (चाहे उक्त आधारों का अंकन आलौच्य आदेशों में किया गया है या नही) वाले समस्त प्रकरणों में राजस्थान सिविल सेवा (कार्यग्रहण काल) नियम, 1981 नियम 4(1) के प्रावधानों के अनुसार कार्यग्रहण काल अनुज्ञय होगा।
2. प्रशासनिक आधार अथवा राज्यहित का उल्लेख नही किये जाने वाले स्थानान्तरण / पदस्थापन प्रकरणों में राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971 के प्रावधानों के अनुसार यात्रा भत्ता देय होगा एवं राज्य हित में किये गये स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता एवं कार्यग्रहण काल दिये जाने के संबध में वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी निर्देश परिपत्र संख्या F.7 (3) FD (Rules)/ 98 dated 2.8.2005& F.12(6)FD (Rules) /05 dated 21.08.2007 के अनुसार देय होगा।

(विमल [illegible] जैन)
IAS
निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

d/NAEEM KHAN/2016/ YOGYATA-

83 मा GAD

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–माध्य / पेंशन–अ / 34928 / 09 / दिनांक 11.01.2017

: : परिपत्र : :

विषय :– अधिकारी / कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता एवं कार्यग्रहण काल दिये जानें के सम्बन्ध में ।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 09 दिसम्बर, 2016 द्वारा राजकीय अधिकारियों / कर्मचारियो के स्थानान्तरण / पदस्थापन में कार्यग्रहण अवधि (Joining Time) देय नहीं होगी, के संदर्भ में पूर्व प्रसारित आदेश में निम्नानुसार संशोधन किया गया है :–

1. प्रशासनिक आधार अथवा राज्य हित में किये गये स्थानान्तरण आदेश (चाहे उक्त आधारों का अंकन आलोच्य आदेशो में किया गया है या नहीं) वाले समस्त प्रकरणों में राजस्थान सिविल सेवा (कार्यग्रहण काल) नियम–1981 नियम 4 (1) के प्रावधानो के अनुसार कार्यग्रहण काल अनुज्ञेय होगा।
2. प्रशासनिक आधार अथवा राज्यहित का उल्लेख नहीं किये जाने वाले स्थानान्तरण / पदस्थापन प्रकरणो में राजस्थान यात्रा भत्ता नियम–1971 के प्रावधानो के अनुसार यात्रा भत्ता देय होगा एवं राज्य हित मे किये गये स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता एवं कार्यग्रहण काल दिये जाने के सम्बन्ध में वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी निर्देश परिपत्र संख्या F.7 (3) FD (Rules)/98 Dated 02.08.2005 & F.12 (6) FD (Rules)/05 dated 21.08.2007 के अनुसार देय होगा ।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–माध्य / पेंशन–अ / 34928 / 09 / दिनांक 11.01.2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त उपनिदेशक,माध्यमिक शिक्षा ।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,माध्यमिक शिक्षा ।
3. अनुभागाधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को निर्देशित किया जाता है कि समस्त अधिकारियों को ई–मेल सुनिश्चित करें।
4. अनुभाग अधिकारी, संस्थापन "ए–बी" / सी / एफ / सामान्य प्रशासन अनुभाग ।
5. अनुभाग अधिकारी, शिविरा प्रकाशन अनुभाग को शिविरा पत्रिका में प्रकाशन हेतु ।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर